# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
## Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/133
दिनांक :– 23.4.2021

तत्काल

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– संस्थान/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**महोदय/महोदया,**

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान मे आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त भी नवीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गयी है। जो कि अत्यन्त अनुशासनहीनता का विषय है।

तत्क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेशों के अनुपालन में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्र का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वे संस्थान/महाविद्यालय अविलम्ब स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में नवीन प्रबन्ध तन्त्र का गठन नही कराया गया है। उपरोक्त संस्थानों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे कारण स्पष्ट करते हुए प्रबन्ध समिति के गठन हेतु विश्वविद्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त यह निर्देशित किया जाता है कि जिन संस्थानों/महाविद्यालयों में नियमानुसार प्रबन्ध समिति का अनुमोदन निर्धारित समय सीमा अथवा 30, जून 2021 जो भी पहले हो के भीतर नहीं पाया जाता है, तो उन संस्थानों/महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021–22 में किसी भी पाठयक्रम में छात्रों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा।

भवदीय,

23-04-2021

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

Vivt.(506)